न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
21/2013	22.2.2013	20.3.2026

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. रामदयाल पुत्र गौरीलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. अशोक कुमार पुत्र गौरीलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर
3. संतोष कुमार पुत्र गौरीलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
4. तारादेवी पुत्री गौरीलाल पत्नी किरोडीलाल निवासी गोठरा तह0 सपोटरा
5. आशादेवी पुत्री गौरीलाल पत्नी गजेन्द्र कुमार, ब्राह्मण निवासी शेखपुर तह0 वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 आर.टी. एक्ट

उपस्थित :– राजकीय पैरोकार।

श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम उदेईकलॉ स्थित आराजी भूमि ख0न0 1626/6230 रकबा 0.18 है0 मुताबिक जमाबंदी संवत 2067–2070 मे रामदयाल, अशोककुमार, संतोष कुमार पि0 गोरीलाल ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉ तारादेवी पुत्री गौरीलाल पत्नी किरोडी लाल निवासी गोठरा तह0 सपोटरा, आशादेवी पुत्री गौरीलाल पत्नी गजेन्द्र कुमार ब्राह्मण निवासी शेखपुर तह0 गंगापुर सिटी खातेदार की खातेदारी मे दर्ज है। मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट उक्त आराजीयात मे अप्रार्थीगण ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के रिलायंस कम्पनी का मोबाईल टावर स्थापित कर लिया है। ग्राम उदेईकलॉ स्थित भूमि भूमि ख0न0 1626/6230 रकबा 0.18 है0 कृषि भूमि है, जिसमे अप्रार्थीगण द्वारा बिना कोई भू संपरिवर्तन कराये

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:44:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

रिलायंस कम्पनी का मोबाईल टावर स्थापित करने के कारण यह कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत है। इस कारण यह भूमि सिवायचक घोषित किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 1626/6230 रकबा 0.18 है0 ग्राम उदेईकलॉ को कब्जा राज मे लिया जावे एवं अप्रार्थीगण को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को सिवायचक किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे मे अंकित किया है कि रिलायंस का मोबाईल टावर इस खसरा नम्बर मे स्थित नही है। प्रतिवादीगण की भूमि के बाद सीमाकंन टावर इस नम्बर मे पाया जाता है कि तो प्रतिवादीगण भू परिवर्तन की राशि जमा कराने को तैयार है। भूमि के सम्पूर्ण रकवे पर टावर का निर्माण नही है। इसलिए सम्पूर्ण भूमि को सिवायचक करवाने का वादी को कोई अधिकार नही हैं। दावे मे कोई कॉज आफ एक्शन दर्ज नही किया गया है और न ही यह बताया गया है कि कब टावर की भूमि का सीमांकन किया गया। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल नक्शा ट्रेस, फर्द मौका रिपोर्ट, नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 खाता संख्या 371 ग्राम उदेईकलॉ प्रस्तुत किये है तथा वादी द्वारा प्रकरण मे कोई साक्ष्य नही करायी गई।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जबाब के समर्थन मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किय गये है। प्रतिवादी रामदयाल की साक्ष्य करायी गई।

बहस राजकीय पेरोकार एवं वकील प्रतिवादीगण सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस मे कहा है कि खातेदारी भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के मोबाईल टावर लगाया गया है। इसलिए भूमि को सिवायचक किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:44:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रक्रमांक 283 दिनांक 3.2.2022 के अनुसार भूमि ख0न0 1626/6230 रकबा 0.18 है0 ग्राम उदेईकलॉ पर खातेदारान द्वारा 279 वर्गमीटर भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के मोबाईल टावर लगाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर मोबाईल टावर लगाये जाने हेतु भूमि संपरिवर्तन आदेश प्रस्तुत नही किये है। फलस्वरूप भूमि ख0न0 1626/6230 रकबा 0.18 है0 ग्राम उदेईकलॉ की 279 वर्गमीटर भूमि को सिवायचक किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 1626/6230 रकबा 0.18 है0 ग्राम उदेईकलॉ मे 279 वर्गमीटर (जिसमे मौके पर रिलायंस कम्पनी का मोबाईल टावर स्थापित है) भूमि को सिवायचक किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.3.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:44:34 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई — Judi/Civil
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) — Part IV-10
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. रामदयाल पुत्र गौरीलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. अशोक कुमार पुत्र गौरीलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर
3. संतोष कुमार पुत्र गौरीलाल, ब्राह्मण निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
4. तारादेवी पुत्री गौरीलाल पत्नी किरोडीलाल निवासी गोठरा तह0 सपोटरा
5. आशादेवी पुत्री गौरीलाल पत्नी गजेन्द्र कुमार, ब्राह्मण निवासी शेखपुर तह0 वजीरपुर —प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं. —21/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी राजकीय पैरोकार मिनजानिब मुद्दई श्री रामदयाल त्रिवेदी एड. मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वादी स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 1626/6230 रकबा 0.18 है0 ग्राम उदेईकलॉ की 279 वर्गमीटर भूमि (जिसमे मौके पर रिलायंस कम्पनी का मोबाईल टावर स्थापित है) को सिवायचक किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.3.26 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.04.16 17:44:34 IST
Reason: SelfAttested